GCMS No. 2023/85

मु.नं. 26/2023

Reader पीपलिया कलां कैम्प
29/05/2023

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

रायपुर

Issue Notice
29/05/2023

प्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रायपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रमेशचंद्र पुत्र रतनलाल जाति ढोली निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत जिला पाली,राज.

2. कैलाशचंद्र पुत्र बाबूलाल जाति बावरी निवासी कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली,राज.

3. घनश्याम पुत्र मदनलाल जाति बावरी निवासी कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली,राज.

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

वास्ते तरमीम दुरूस्ती

महोदयजी,

1. निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से खसरा संख्या 32/36 रकबा 0.2671 हैक्टर तथा अप्रार्थी संख्या 3 घनश्याम के नाम से खसरा संख्या 32/10 रकबा 0.2428 हैक्टर ग्राम पिपलियाकलां पटवार मंडल पिपलियाकलां तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

लगातार पेज नं.2

अप्रार्थीगण की पैरा एक मे वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रीगेशन खसरा संख्या 32/36 के नक्शे मे राजस्व जमाबंदी मे दर्ज रकबा 0.2671 हैक्टर से कम कर दी है तथा खसरा संख्या 32/10 के नक्शे मे उसके राजस्व जमाबंदी मे दर्ज रकबा 0.2428 हैक्टर से ज्यादा कर दी गई है जो राजस्व रेकर्ड व मौके के अनुरूप नही है तथा उक्त तरमीम सहवन से गलत कर दी गई जिसे दुरूस्त किया जाना है।

पटवारी हल्का पिपलियाकलां एवं भू.अभि.नि.पिपलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पिपलियाकलां के खसरा संख्या 32/36 व 32/10 की तरमीम शुद्धि के आदेश फरमाया जावें।

तहसीलदार रायपुर

फर्द मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 27-04-2023 को श्रीमान तहसीलदार साहबजी - रायपुर के आदेश क्रमांक / भू.अ. नो. से०/ 23 / दिनांक 26-04-2023 की पालनार्थ मे निम्नानुसार रिपो रिपोर्ट तैयार की गई।

(1) ग्राम / पिपलिया कला के ख० न० $\frac{32}{36}$ रकबा 0.2671 हे० किस्म-चाही सोयम खातेदार कैलाश-चन्द पुत्र बाबूलाल हि० $\frac{1}{2}$ व रमेश-चन्द पुत्र बाबूलाल हि० $\frac{1}{2}$ दर्ज है। तथा —

(2) ख० न० $\frac{32}{10}$ रकबा 0.2428 हे० किस्म-चाही सोयम खातेदार घनश्याम पुत्र मदन लाल हि० सम्पुर्ण दर्ज है।

मौका अनुसार खातेदारो का निम्नांकित नक्सा व कब्जा है।

नजरी नक्सा

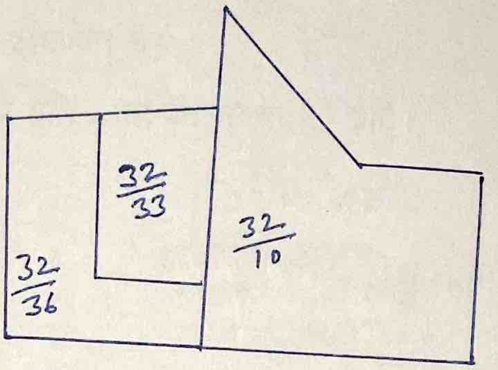

श्रीमानजी वर्तमान में ख० न० $\frac{32}{36}$ का रकबा 0.2671 हे० ज्यादा है नक्सा को नापने पर कम है। तथा ख० न० $\frac{32}{10}$ रकबा 0.2428 हे० जिसके नक्से को नापने पर अधिक बनता है। इसलिए वर्तमान राजस्व नक्से की तरमीम गलत है।

नजरी नक्सा

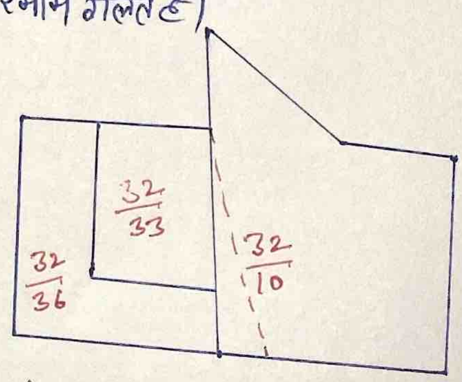

श्रीमानजी सही तरमीम उपरोक्तानुसार किया जाना उचीत होगा। पालना रिपोर्ट सेवा मे सादर पेश है।

(हस्ताक्षर)

पटवारी मण्डल पिपलिया कला

तहसील रायपुर

खसरा संख्या 32/36 का रकबा 0.2671 हे० जमाबंदी मे दर्ज है जबकि नक्शे में तरमीम हुई है उसका क्षेत्रफल करीब 0.2000 — हैक्टर ही बनता है जो करीब 0.0671 हे० कम तरमीम दर्ज है तथा खसरा संख्या 32/10 का रकबा 0.2428 हैक्टर जमाबंदी मे दर्ज है जबकि वर्तमान नक्शे मे तरमीम का क्षेत्रफल 0.3099 — हैक्टर है जो जमाबंदी मे दर्ज रकबे से 0.0671 हे० — अधिक है जो राजस्व रेकर्ड व नक्शे में दर्ज तरमीम का मिलान नही होने से मौका/नक्शा लट्ठा अनुसार खसरा नं. 32/36 व 32/10 की तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है।

संलग्न–1.नकल जमाबंदी 2.गत नक्शा की प्रति 3.वर्तमान नक्शा की प्रति।

27-04-2023

हस्ताक्षर गवाहान

Rcpaul

घनश्याम

हस्ताक्षर पटवारी

पटवार हल्का प्रेमनियाकला

तहसील रामपुर

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक

पटवारी हल्का पिपलिया कलां की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा खसरा संख्या 32/36, 32/10, 32/33 की मौका जांच कर ली गई है। वर्तमान मौका एवं पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर व राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर भू.अ.निरीक्षक
पिपलिया कलां

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा

रिपोर्ट पटवारी हल्का पिपलियाकलां जांच भू.अ.नि.पिपलियाकलां के रिपोर्ट व खातेदारान की सहमति के आधार पर ख.नं. 32/36, 32/10, 32/33 की तरमीम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रकबे व मौके अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की शुद्धि की अनुशंषा की जाती है।

तहसीलदार रायपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर
मुकदमा नम्बर 26/2023

तहसीलदार रायपुर की अनुशंषा अनुसार ग्राम पिपलिया कलां के खसरा नम्बर 32/36, 32/10, 32/33 की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर पालना कर, पालना प्रस्तुत करें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)